आदेश पत्रक

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	ओदश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित/अभिलेख का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पूर्व में प्रतिवेदित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी के संबंध में जो प्रतिवेदन दिया गया है वह स्पष्ट नही है। इस संबंध में पूर्व में भी उपायुक्त महोदय के द्वारा किये गए बैठक में यह निर्देशित किया गया था कि इस प्रकार के चल रहे अभिलेख कि विस्तृत जांच कि जाय, की मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, तद्नुसार आगे कि कार्रवाई कि जाय। अतः उक्त निदेश के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से विस्तृत जांच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुसंशा के साथ समर्पित करें कि मामला संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है कि नहीं, जांच प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें। अंचल अधिकारी, मनातू।	
22-12-2022	अभिलेख उपस्थापित/राजस्व उप निरीक्षक द्वारा जाँच प्रतिवेदन अस्पष्ट है। पुन: जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 02.01.23 को रखें। अंचल अधिकारी मनातू	
02-01-23	अभिलेख उपस्थापित/राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। पुन: जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक: 12.01.2023 को रखें। अंचल अधिकारी मनातू	

12-01-23 अभिलेख उपस्थापित/जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त है। पुनः जाँच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 26.4.2023 को रखें।

03.05.2023 अभिलेख उपस्थापित।

राजस्व उप निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त।

राजस्व उप निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि जमाबंदीदार को नोटिस कर दस्तावेज की मांग की जा सकती है। जमाबंदीदार के नाम से नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 19.05.2023 को रखें।

3.5.23

अंचल अधिकारी,
मनातू।

19-05-2023	अभिलेख उपस्थापित। जमाबंदीदार के द्वारा बंदोबस्ती पर्चा केश नं0 157/2002-2003 एवं नक्शा की प्रति जमा की गई है। समर्पित किए गए राजस्व कागजातों की प्रति के अनुसार राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 14-07-23 को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।
14-07-2023	अभिलेख उपस्थापित। अन्य कार्य की व्यवस्तता के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं की जा जा सकी। राजस्व उपनिरीक्षक/प्रभारी अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख दिनांक 12-10-2023 को रखें। अंचल अधिकारी, मनातू।
18-10-2023	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व उप निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है की पंजी 2 के पृष्ठ सं0 70/10 पर उक्त बंदोबस्ती वाद के आलोक में जमाबंदी श्री/श्रीमति. किताबुन बीबी जौ० रेयाज मियाँ, मीनु बीबी जौ० मोहम्मद मियाँ, नैमा बीबी जौ० मुश्ताक मियाँ दर्ज किया गया है। परिर्वतण के प्रधिकार कॉलम में बंदोवस्ती वाद सं0 157/2002-03 आदेशानुसार अनुमण्डल पदाधिकारी सदर मेदिनीनगर दर्ज है। उनके द्वारा अपने प्रतिवेदन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उक्त मामंला संदेहास्पद/संदिग्ध जमाबंदी 4(H) के अंतर्गत नहीं आता है। अतः संबंधित रैयत द्वारा प्रस्तुत दास्तावेज एवं राजस्व उप निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अंचल अधिकारी, मनातू।

सेवा में,
अंचल अधिकारी महोदय
मनातू, पलामू।

विषय:- ऑनलाइन जमाबंदी केस नं० 162/2016-17 का जाँच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय के संदर्भ में जाँचोपरान्त पाया कि मौजा - जसपुर के आफलाइन माँग पंजी-II के पेज नं० 70/10 पर माँगधारी निमाजन बीबी w/o ईयाज मियाँ मिनु बीबी w/o मेराज मियाँ, तेतो बीबी w/o गुफरान मियाँ के नाम से माँग कायम है, माँग पंजी-II के अनुसार भूमि का विवरण इस प्रकार है:-

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	परिवर्तन के लिए प्राधिकार
जसपुर	66	681	0.24	Setalment case. no. 157/2002-03 by order S.D.O medeninagar
		667/A	0.07	
		667/B	0.04	
		667/C	0.06	
			0.41	

प्रतिवेदित भूमि का लगान रसीद दिनांक - 25/5/12 paid 2003-13 तक की निर्गत है। रसीद संख्या - 4968834. से संबंधित दस्तावेज की माँगधारी रैयत से उपर्युक्त भूमि से संबंधित दस्तावेज की माँग की गई है जो अब तक अप्राप्त है। अंचल अमीन से उपर्युक्त भूमि से संबंधित माँगधारी रैयत का दखल कब्जा के रिपोर्ट की माँग की जा सकती है एवं माँगधारी रैयत को अंचल कार्यालय से सूचना निर्गत कर बंदोबस्ती पर्चा, राजस्व रसीद एवं भूमि बंदोबस्ती से संबंधित नकल की माँग की जा सकती है, तत्पश्चात अग्रेतर कार्रवाई किया जा सकता है।

अतः जाँच प्रतिवेदन नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

आपका विश्वासभाजन
अनिल कु० रवक
रा० उ० नि०
हल्का - III

आवेदक द्वारा प्रस्तुत बंदोबस्ती पर्चा, राजस्व रसीद एवं [illegible] प्राप्त हुआ है अतः माँगधारी [illegible] एवं पंजी-II [illegible] के प्राधिकार कॉलम में दर्ज settlement case. no-157/2002-03 by order S.D.O. medeninagar के आधार पर यह मामला संदिग्ध/ संदेहास्पद प्रतीत नहीं होता है।
18/04/23
R.S.I + CI
[signature] 18/10/23

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2024.01.16 13.07.56 +05:30
Location: 192.168.114.140